[2019] 4 एस.सी.आर. 1099

भारत संघ एवं अन्य

बनाम

नि० संख्या– 6492086 ए– एस इ पी/ ए एस एच कुलबीर सिंह

(सिविल अपील संख्या 3095 सन् 2017) 11 मार्च, 2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमन्त गुप्ता, माननीय न्यायमूर्तिगण]

सेना अधिनियम, 1950 – धारा 106 – बिना अवकाश के अनुपस्थिति की जांच – भारतीय सेना में प्रतिवादी–सिपाही अपनी नई इकाई को रिपोर्ट करने में विफल रहा – उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया – हालाँकि, प्रतिवादी ने 302 दिनों के अंतराल के बाद रिपोर्ट की – संक्षिप्त कोर्ट मार्शल द्वारा उसका विचारण किया गया – प्रतिवादी ने दोष स्वीकार किया और उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया – हालाँकि, सशस्त्र बल न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समरी कोर्ट मार्शल द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही था, लेकिन बर्खास्तगी की सजा अनुपातहीन थी – अपील पर, अवधारित : अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अपने अवकाश के विस्तार के लिए आवेदन करने का कोई प्रयास नहीं किया – सशस्त्र बल के एक सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य से 302 दिनों की अनुपस्थिति क्षमा योग्य नहीं थी – अधिकरण ने निष्कर्ष पर आने में गलती की थी कि जो सज़ा दी गई थी वह कठोर थी – निष्कर्ष का एकमात्र आधार यह था कि प्रतिवादी ने बारह साल की सेवा की थी – हालाँकि, यह सब एक कारण था कि क्यों सशस्त्र बल के किसी भी जिम्मेदार सदस्य को खुद को अनुमति के बिना सेवा से अनुपस्थित नहीं रखना चाहिए था – सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया।

प्रतिवादी भारतीय सेना में सेना सेवा कोर में एक सिपाही के रूप में नामांकित था। अपनी नई यूनिट को रिपोर्ट करने में विफल रहने पर, उन्हें बिना अवकाश के अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। हालाँकि, 302 दिन बीत जाने के बाद, प्रतिवादी ने गया में ए एस सी केंद्र (उत्तर) को सूचना दी। इसके बाद, उन पर संक्षिप्त कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया, जिसमें प्रतिवादी ने अपना दोष स्वीकार किया। समरी कोर्ट मार्शल ने प्रतिवादी को दोषी पाया और उसे सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई। प्रतिवादी ने अपनी दोषसिद्धि और सेवा से बर्खास्तगी को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी। ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समरी कोर्ट मार्शल द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही था, लेकिन सजा सही थी

बर्खास्तगी अनुपातहीन थी. अत: विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत करें।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए
अवधारित: प्रतिवादी के बयान से यह स्पष्ट है कि उसने बिना अवकाश के 302 दिनों तक अनुपस्थित रहने की बात स्वीकार की है। कथन में अनुपस्थिति का औचित्य शामिल है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अपने अवकाश के विस्तार के लिए आवेदन करने का कोई प्रयास नहीं किया। सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा अपने कर्तव्य से 302 दिनों की अनुपस्थिति को माफ नहीं किया जा सकता। इस न्यायालय का स्पष्ट मानना है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर रहा था कि जो सज़ा दी गई थी वह कठोर थी। निष्कर्ष का एकमात्र आधार यह था कि प्रतिवादी ने बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। यह और भी अधिक कारण था कि क्यों सशस्त्र बल के किसी भी जिम्मेदार सदस्य को बिना अनुमति के सेवा से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए था। ट्रिब्यूनल ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर स्पष्ट रूप से विधि में स्वयं को गलत दिशा दी कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा कठोर और अनुपातहीन थी। [पैरा 10 और 11] [1103–ई–एच]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3095 सन् 2017

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ, लखनऊ के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.08.2015 से ओ.ए. 2012 का क्रमांक 483 / आदेश दिनांक 06.01.2016 एम.ए. में क्रमांक 2351 2015 ओ.ए. 2012 की संख्या 483

अपीलकर्ताओं के लिए– सुश्री माधवी दीवान, ए एस जी, सुश्री रुख्मिणी बोबड़े, शैलेन्द्र सैनी, ए.के. शर्मा, मुकेश कुमार मरोरिया, सलाहकार।

प्रतिवादी के लिए– सुश्री अनिंदिता पुजारी, सुश्री आरती कृपा कुमार, सलाहकार।

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, माननीय न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

1. स्वीकार किया गया।

2. प्रतिवादी 25 अप्रैल 1996 को भारतीय सेना में, सेना सेवा कोर में एक सिपाही के रूप में नामांकित हुआ था। 11 नवंबर 2007 को उस यूनियन ऑफ इंडिया बनाम ई एक्स संख्या 6492086 ए– एस ई पी/ए एस एच को 874 ए एस सी बटालियन में स्थायी पोस्टिंग पर भेजा गया, जो जम्मू–कश्मीर में तैनात थी। 21 नवंबर 2007 को अपनी नई यूनिट को रिपोर्ट करने में विफल रहने पर, उन्हें 22 नवंबर 2007 को बिना छुट्टी के अनुपस्थित घोषित कर दिया गया। सेना अधिनियम 1950 की धारा 106 के संदर्भ में, एक जांच न्यायालय आयोजित की गई और प्रतिवादी को 22 नवंबर 2007 से एक भगोड़ा घोषित किया गया। । 18 सितंबर 2008 को, 302 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिवादी ने ए एस सी केंद्र (उत्तर),गया को सूचना दी।

3. 12 नवंबर 2008 को, उस पर दो आरोपों में संक्षिप्त कोर्ट मार्शल द्वारा मुकदमा चलाया गया। पहला आरोप बिना छुट्टी के 302 दिनों की अवधि में उनकी अनधिकृत अनुपस्थिति था; जबकि दूसरा आरोप कुछ उपकरणों और कपड़ों के नुकसान से संबंधित है। प्रतिवादी ने दो आरोपों में दोष स्वीकार किया। संक्षिप्त कोर्ट मार्शल के समक्ष अपने बयान में, प्रतिवादी ने इस प्रकार कहा:

“14. मैं नंबर 6492086 ए–एसईपी/ए एस एच कुलबीर सिंह, 874 ए टी बीएन ए एस सी

मुख्यालय विंग, ए एस सी सेंटर (उत्तर) के साथ 25 अप्रैल 1996 को सेना में नामांकित किया गया था। मैं गांव–सांपला बेगमपुर, पोस्ट आफिस–सरसावा , थाना–नकुड़, तहसील–नकुड़, जिला–सहारनपुर, राज्य–उ०प्र० का रहने वाला हूं। मेरे परिवार में मेरे पिता जिनकी आयु 55 वर्ष है, माँ जिनकी आयु 52 वर्ष है, पत्नी की उम्र 29 साल और बेटा 3 साल का है।

15. मुझे नवंबर 2007 के दौरान, 514 ए एस सी बीएन से 874 एटी बीएन ए एस सी में तैनात किया गया था। अपनी तैयारी की छुट्टी के दौरान मैं अपने घर गया। घर पहुंचने पर मुझे पता चला कि मेरे चाचा ने मेरे पुराने घर पर कब्जा कर लिया है। मामले की सूचना गांव के सरपंच व तहसीलदार को दी गई। तहसीलदार ने मामले की जांच की और घर को मेरे चाचा से प्राप्त कर मेरे पिता को सौंप दिया गया। इसके बाद 302 दिनों तक अनुपस्थित रहने के बाद, मैंने 18 सितंबर 2008 की दोपहर में मुख्यालय विंग में रिपोर्ट की।

16. मेरे पास रुपये 2265/– (दो हजार दो सौ पैंसठ रूपये मात्र), जैसा कि किट कमी सूची में ए पी पी एक्स से आई ए एफ डी–918 के लगभग उल्लेखित है, कपड़ों और उपकरण वस्तुओं की कमी पाई गई।
(अनुलग्नक – ।। अभियोजन गवाह संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत)

17. उपरोक्त कथन मुझे भाषा (हिंदी) में पढ़कर सुनाया गया है। मैं बेहतर समझता हूं और इसे सही मानकर स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर करता हूं ।" सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर.

4. संक्षिप्त कोर्ट मार्शल ने प्रतिवादी को दोषी पाया और उसे सेवा से बर्खास्त करने की सजा सुनाई।

5. प्रतिवादी ने 17 मई 2010 को सेना अधिनियम की धारा 164 के तहत एक याचिका प्रस्तुत की, जिसे जी ओ सी, मध्य प्रदेश क्षेत्र ने 13 अप्रैल 2011 को खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी दोषसिद्धि और सेवा से बर्खास्तगी को इसके क्षेत्रीय पीठ लखनऊ में चुनौती दी। 21 अगस्त 2015 के एक आदेश द्वारा, ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि समरी कोर्ट मार्शल द्वारा निकाला गया निष्कर्ष सही था, लेकिन बर्खास्तगी की सजा अनुपातहीन थी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अपनी बारह साल की सेवा में, प्रतिवादी को 2007 में अपनी छुट्टी से 140 दिन अधिक रुकने के लिए दंडित किया गया था और यह उसका दूसरा उल्लंघन था। ट्रिब्यूनल के विचार में, सजा को संशोधित किया जा सकता था ताकि प्रतिवादी को पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने तक सेना में सेवा जारी रखने की अनुमति मिल सके। ट्रिब्यूनल ने पाया कि प्रतिवादी को जो सज़ा दी गई थी, वह उसकी बारह साल की सेवा को ध्यान में रखते हुए अनुपातहीन थी और तदनुसार, निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

“20. तदनुसार, ओ.ए. केवल आंशिक रूप से अनुमत किया जाता है। संक्षिप्त कोर्ट मार्शल कार्यवाही और कुर्की आदेश की पुष्टि करते हुए, वैध होने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि बर्खास्तगी की सजा को रद्द कर दिया जाए। याचिकाकर्ता को काल्पनिक रूप से सेवा में माना जाएगा।

प्रभावी 12.11. 2008 से जब तक वह वह सेवा प्राप्त नहीं कर लेता जिसके लिए वह हकदार है, पेंशन प्राप्त करें और उसके बाद उसे सभी परिणामिक लाभ सहित पेंशन प्रदान की जाएगी। हम स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता को काल्पनिक सेवा की अवधि के दौरान वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। वाद व्यय के लिये कोई आदेश नहीं।"
6. उपरोक्त निर्देशों का विरोध करते हुए, भारत संघ अपील में है।

7. अपीलकर्ताओं की ओर से सुश्री माधवी दीवान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने विद्वान वकील सुश्री रुक्मिणी बोबड़े के साथ उपस्थित होकर कथन किया कि प्रतिवादी ने कदाचार के आरोप को विधिवत स्वीकार कर लिया है। अधिकरण को विशेष रूप से संक्षिप्त कोर्ट मार्शल के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। एक बार जब यह विधिवत स्थापित हो गया, तो इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सशस्त्र बल के एक सदस्य द्वारा 302 दिनों की अनधिकृत अनुपस्थिति थी, अधिकरण के लिए यह मानने का कोई औचित्य नहीं था कि सज़ा अनुपातहीन थी। भारत संघ बनाम पूर्व. क्रमांक 6492086 ए– एस ई पी/ए एस एच

8. प्रतिवादी की ओर से दो दलीलें देने का आग्रह किया गया। सबसे पहले, यह कथन किया गया था कि सेना अधिनियम, 1950 की धारा 39 में प्रावधान है कि कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर, एक व्यक्ति जिसने अन्य बातों के साथ–साथ दी गई छुट्टी से अधिक समय तक रुकने का अपराध किया है, उसे एक अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ सकता है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसी कम सज़ा जो अधिनियम में उल्लिखित हो। वर्तमान मामले में, इसलिए, यह आग्रह किया गया कि प्रतिवादी को धारा 39 के तहत कारावास की सजा देने के बजाय, उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। दूसरे, यह कथन किया गया कि यदि प्रतिवादी के बयान का विधिवत अर्थ लगाया जाए, तो यह मानना गलत होगा कि उसने कदाचार के आरोप को स्वीकार कर लिया है।

9. हमें पहले कथन में कोई गुणावगुण नहीं मिला। सेना अधिनियम, 1950 की धारा 39, अध्याय VI में शामिल है जो "अपराधों" से संबंधित है। धारा 39 में प्रावधान है कि बिना छुट्टी के अनुपस्थिति से जुड़े अपराध के लिए कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास की सजा दी जा सकती है जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। अध्याय VII जो "दंड" से संबंधित है, उसमें धारा 71 शामिल है। धारा 71 का खंड (ई) विशेष रूप से कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने पर सेवा से बर्खास्तगी की सजा पर विचार करता है। इस प्रकार हमें पहले कथन में कोई गुणावगुण नहीं पाते हैं।

10. जहां तक दूसरे कथन का संबंध है, यह बयान,जो पहले निकाला गया था, से स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने बिना अवकाश के 302 दिनों के लिए अपनी अनुपस्थिति स्वीकार की थी। कथन में अनुपस्थिति का औचित्य शामिल है। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने अपनी छुट्टी के विस्तार के लिए आवेदन करने का कोई प्रयास नहीं

किया। सशस्त्र बल के किसी सदस्य द्वारा अपनी ड्यूटी से 302 दिनों की अनुपस्थिति को माफ नहीं किया जा सकता। हमारा स्पष्ट मानना है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर रहा था कि जो सजा दी गई थी वह कठोर थी। निष्कर्ष का एकमात्र आधार यह था कि प्रतिवादी ने बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। यह और भी अधिक कारण था कि सशस्त्र बल के किसी भी जिम्मेदार सदस्य को बिना अनुमति के सेवा से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए था।

11. अधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंचकर स्पष्ट रूप से विधि में स्वयं को गलत दिशा दी कि सेवा से बर्खास्तगी की सजा कठोर और अनुपातहीन थी। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [2019] 4 एस.सी.आर.

12. हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 21 अगस्त 2015 को खारिज करते हैं।

परिणामस्वरूप, प्रतिवादी द्वारा दायर ओए 483 सन् 2012 खारिज होगा। हालाँकि, वादस व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अंकित ज्ञान की अपील स्वीकार की गई।

Translated/Vetted By:
Nidhi Shishodia
Chief Judicial Magistrate
Saharanpur